न्यूनतम मजदूरी कानून-1948

Presented by-

Rajendra Kushwaha

Instructor/C&W

MSTC/GKP

1.उद्देश्य-

- कुछ रोजगारों में मजदूरों की न्यूनतम दर नियत करने के लिए यह कानून 1948 में मनाया गया।
- जिन रोजगारों में मजदूरी की दरें बहुत कम है, उनमें
- असंगठित और बिखरे हुए मजदूरों का शोषण न हो इसलिए उनकी मजदूरी की कम से कम दर क्या रहेगी यह तय कर दिया जाए ।
- यह कानून मजदूरों के काम के समय, मजदूरी के भुगतान, समयोपरि भत्ता, समय से भुगतान, मजदूरी से कटौती, आदि के बारे में कार्यप्रणाली तय करता है।

2.लागू होने की सीमाएं-

- इस कानून में उन मजदूरों की सूची दे दी गई है जिनमें काम करने वाले मजदूरों पर यह कानून लागू होता है।
- सड़क मरम्मत एवं निर्माण, भवन निर्माण और रखरखाव, पत्थर तोड़ने के काम में लगे मजदूरों पर यह कानून लागू होता है।
- रेल पथ,पुल, सुरंगे छतों,माल गोदाम, भंडार गृहों आदि में लदान तथा उतराई के कार्य में लगे मजदूर।
- वे सभी मजदूर भी शामिल होंगे जो विभागीय हो या ठेकेदार के आदमी हैं ।

3-मजदूरी-

- मजदूरी में वह सारे महंत आने शामिल हैं जो रुपयों में बताए जा सकते हो।
- मकान किराया भत्ता इसमें शामिल है किंतु रोशनी, पानी, चिकित्सा सुविधा, मकान सुविधा आदि का खर्च शामिल नहीं है, अगर उसे सरकारी आदेश के अधीन दिया गया हो ।

4. मजदूरी का निर्धारण-

- यह दरें समय या काम के लिए आज से हो सकती हैं।
- सरकार इन्हें नियत करती है।
- यह दरें रेल अधिकारियों को रीजनल लेबर कमिश्नर, सहायक लेबर कमिश्नर या लेबर इनफोर्समेंट ऑफिसर से प्राप्त कर लेनी चाहिए ।
- इस कानून में दी गई सूची के बाहर के रोजगारों के लिए एक न्यूनतम दर जिलाधिकारी द्वारा दी जाती है।
- अगर किसी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा नियत दर अधिक है तो उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए।
- धारा 8 के अधीन एक केंद्रीय मंत्रणा बोर्ड होता है। इसमें मालिकों, यूनियनों के प्रतिनिधियों के अलावा अर्थशास्त्री भी होते हैं ।
- यह बोर्ड दर के बारे में अपनी सिफारिश करता है।
- आजकल पूरे देश को पांच क्षेत्रों में बांटा गया है A,B1,B2,C और D ।
- सारे नगर इन क्षेत्रों के अधीन बांट दिए गए हैं।
- समय-समय पर दरों की समीक्षा होती रहती है।
- महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक श्रम मंत्रालय की दरों पर क्रमशः33.3 3% और 20% बढ़ा सकते हैं

5.भुगतान विधि-

- मजदूरी के भुगतान के लिए मजदूरी अवधि निर्धारित की जानी चाहिए जो एक माह अथवा इससे लंबी विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- मजदूरी का भुगतान काम के दिनों में और मजदूरी अवधि समाप्त होने के 7 दिन या 10 दिन के भीतर किया जाना चाहिए।
- जहां क्रमश: 1000 तक या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हो।
- कार्यमुक्त कर दिए गए व्यक्ति को कार्य मुक्ति के अगले काम के दिन तक मजदूरी का भुगतान कर दिया जाना चाहिए।
- मजदूरी भुगतान अधिनियम के अधिकृत कटौतियो के सिवाय कोई अन्य कटौती किए बिना मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।
- दैनिक मजदूरी की दर निकालने के लिए 26 दिनों को 1 मास के बराबर मानना चाहिए ।

6.काम के घंटे तथा विश्राम-

- वयस्कों के लिए काम के घंटों की सीमा दिन भर में 9 घंटे और जहां काम का समय फैला हुआ हो 12 घंटे है।
- एक सप्ताह में यह अवधि अधिकतम 48 घंटे है। यदि निर्धारित अधिकतम से अधिक समय तक कर्मचारी काम करता है तो उसे मजदूरी की सामान्य दर से दोगुनी दर पर अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
- सप्ताह में एक दिन विश्राम दिया जाएगा जो सामान्यता रविवार को होगा, परंतु नियोक्ता कोई दूसरा दिन भी विश्राम के लिए निर्धारित कर सकता है।
- कर्मचारी को विश्राम तभी मिलेगा जब उसने 6 दिन तक निरंतर उसी नियोक्ता के अधीन काम किया होगा।

7 .निरीक्षण-

- इस उद्देश्य से नियुक्त निरीक्षक किसी भी परिसर में प्रविष्ट होकर अभिलेखों की जांच कर सकता है तथा दस्तावेजों के निरीक्षण के अतिरिक्त गवाहियां भी ले सकता है ।

8. दावे तथा शिकायतें -

- नियुक्त अधिकारी के सम्मुख दावे तथा शिकायतें 6 माह के अंदर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- प्राधिकारी देय मजदूरी तथा वास्तविकता में दी गई मजदूरी के अंतर के भुगतान का आदेश देने के साथ-साथ क्षतिपूर्ति का आदेश भी दे सकता है।
- क्षतिपूर्ति इस राशि का 10 गुना अथवा यदि न्यायालय में आवेदन के निर्णय कि पूर्व ही नियोक्ता राशि का भुगतान करने को तैयार हो तो10रुपया से अधिक नहीं होगा ।

9.नोटिस तथा रजिस्टर-

- इस कानून के अधीन बनाए गए नियमों में इलाके में समझे जाने वाली भाषा, हिंदी व अंग्रेजी में एक नोटिस लगाने का प्रावधान है जिनमें मजदूरी की दर और कानून का सार आज शामिल हो।
- मजदूरी का रजिस्टर, ओवरटाइम रजिस्टर तथा कुछ कटौतियों के विवरण आदि रखने होते हैं।
- फार्म नंबर 89 में एक वार्षिक रिटर्न देना होता है।

10.दंड आदि-

कानून के अनुसार एक इंस्पेक्टर की नियुक्ति होती है जो अपने आप निरीक्षण करता है।

कानून का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी है जो इस प्रकार है-

(क) न्यूनतम मजदूरी, सामान्य कामकाज तथा साप्ताहिक छुट्टियों के बारे में अपराध- 6 माह तक कारावास अथवा रु 500 तक जुर्माना अथवा दोनों।

(ख)रजिस्टर तथा अभिलेख रखने के बारे में अपराध- रु 500 तक जुर्माना।

Any Question?

THANKYOU